न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 31/2018 निर्णय दिनांक :– 15.1.20

उनवान

ग्यारसा देवी बनाम शंकरलाल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

प्रतिवादीण संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि :–

वादीनी ने यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी व तकासमे का प्रस्तुत कि या है जिसमें वादीनी ने अपने आप को मृतक रामप्रताप की पुत्री होना बताकर अपने सगे भाई प्रतिवादी नं0 1 के खिलाफ हिस्से 1/2 की खातेदारी चाही है तथा वादिया ने दावे के मद संख्या 3 में अपने आप को हिन्दु विधि से शाषित होना बताये हुये हिन्दु विधि अनुसार अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा चाहा है।

स्वीकृति रूप में वादीनी जाति से मीणा है जो राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जनजाति में आते है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 के तहत उक्त अधिनियम अनुसूचित जनजाति पर लागू नही होता है। इस कारण वादीगण का दावा प्रथम दृष्टया ही बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज होने योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय व राजस्व न्यायालय में कई निर्णयों के अनुसार मीणा जाति में पुरूष उत्तराधिकारी की स्थिति में स्त्री को अधिकार नही होता है ऐसे में रामप्रताप की जो मृत्यु पर प्रतिवादी नं0 1 को नियमानुसार विरासत प्राप्त हुई है वादीया सकुशल अपने ससुराल में रह रही है सारे तथ्य उसकी जानकार मे है अपने मिथ्या आधारो पर यह दावा प्रस्तुत किया है जो बार्ड बाई लॉ होने के आधार पर खारिज होने योग्य है चूंकि वादिया का वादग्रस्त सम्पत्ति पर कोई भी कब्जा नही है इस कारण बिना कब्जे के ना तो घोषणा का दावा चलने योग्य है ना ही वादिया को कोई वादकारण उत्पन्न हुआ है इस कारण वाद कारणो के अभाव में भी दावा खारिज होने योग्य है। चुंकि वादिया को समस्त तथ्या का पूर्ण ज्ञान प्रारंभ से ही है उसने मेलाफाईड इन्टेंशन से यह दावा प्रस्तुत किया है जो कि एक बोगस दावा है तथा न्यायालय की प्रकिया का दुरूपयोग मात्र है तथा बोगस दावे को न्यायालय श्रीमान किसी भी स्तर पर खारिज कर सकते है इस कारण भी यह दावा खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जाकर वादी का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा फरमाया जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 का पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र की प्रति वकील वादी/अप्रार्थी को दी गयी तो अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार पेश किया गया कि वादीनी ने सही रूप से सही तथ्यों पर अपने मृतक पिता रामप्रताप जी की भूमि में अपने हिस्से बाबत घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है तथा सही रूप से ही वाद पत्र के पद संख्या–3 में पक्षकारान को हिन्दू विधि से शासित होना बताया है। प्रतिंवादी हिन्दु विधि का संकुचित अर्थ हिन्दू उतराधिकार अधिनियम मात्र से होना अर्थान्वयन कर रहा है, जबकि विस्तृत रूप से पक्षकारान हिन्दू संस्कार एवं प्रथाओं के अनुसार शासित होते है, ऐसी स्थिति में व्यापक अर्थ में हिन्दू विधि का सही उल्लेख वादीनी की ओर से अपने वाद पत्र में किया गया है। संख्या–2 प्रार्थना–पत्र जिस तरह से लिखा गया है, संपूर्ण रूप से सही नहीं होने से अस्वीकार है। पक्षकारान का जाति से मीणा होना स्वीकृत है, मगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2(2) के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर "न तो लागू होते है न ही उक्त प्रावधान के तहत वादीनी का वाद बाधित ही है। प्रतिवादी का यह लिखना सरासर गलत है कि वादीनी का वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किये जाने योग्य

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

हो। पद संख्या–3 प्रार्थना–पत्र जिस– तरह से लिखा गया है, सरासर गलत होने से अस्वीकार है, इस प्रार्थना–पत्र में प्रतिवादी ने राजस्व न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का जो हवाला दिया गया है, वास्तव में कानूनी स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में इस बिन्दु को निर्धारित कर दिया है, जिसका विस्तृत विवरण आगामी पद में दर्ज किया जा रहा है। वादीनी का विरासतन अधिकार कानूनी है व केवल प्रतिवादी संख्या–1 को विरासत में मृतक पिता की जायदाद अकेले कतई न्यागत नहीं हो सकती है। वादीनी वर्तमान में कई वर्षों से विधवा है, केवल मात्र ससुराल में रहने के आधार मात्र पर वादीनी का दावा खारिज नहीं किया जा सकता है एवं न ही शादी अथवा ससुराल में रहने का तथ्य हस्तगत प्रकरण में सुसंगत ही है। वादीनी का दाया सही तथ्यों पर आधारित है एवं कानूनन पोषणीय है। यह कि मद संख्या–4 प्रार्थना–पत्र जिस तरह से लिखा गया है, सरासर गलत होने से अस्वीकार है। वादीनी ने अपने दावे में सही रूप से संपूर्ण तथ्य अंकित करते हुए दावा पेश किया है तथा जहां तक कब्जे का प्रश्न है, आज भी संयुक्त जायदाद पर वादीनी का कब्जा संयुक्त रूप से कानूनन है एवं घोषणा का दावा पूर्णतया पोषणीय है। वादीनी ने घोषणा के साथ तकासमा जायदाद व निषेधाज्ञा का अनुतोष भी चाहा है। पद संख्या–5

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

प्रार्थना–पंत्र जिस तरह से लिखा गया है, गलंत होने से अस्वीकार है, वादीनी ने सही तथ्यों के. आधार पर कानूनी आधार पर दावा प्रस्तुत किया है। वादीनी का दावा किसी भी रूप में न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं कहा जा सकता है एवं न ही हस्तगत दावा इस तरह के अस्पष्ट अभिकथनों के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के आधार पर खारिज किया जा सकता है, हकीकत स्थिति यह है कि कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए प्रतिवादी ने विधि के सिद्धान्तों के विपरीत एवं तथ्यों के विपरीत हस्तगत प्रार्थना–पत्र पेश किया है।

विधिक स्थिति आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

यह है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्चतम न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. बाबत समय समय पर विस्तृत दिशा निर्देश दिये है एवं उक्त दिशा निर्देशों विधिक सिद्धान्तों की रोशनी में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करते समय केवल और केवल दावे के अभिकथनों को ही देखा जा सकता है एवं उक्त दिशा निर्देशों की पालना में वादीनी द्वारा प्रस्तुत दावे के संपूर्ण अवलोकन से किसी भी रूप में दावा किसी भी रूप से किसी भी कानून से बाधित होना

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

प्रकट नहीं होता है एवं जहां तक वादकारण उत्पन्न होने का प्रश्न है तो वादीनी ने अपने दावे में स्पष्ट रूप से इस बाबत अभिवचन किये है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र संव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

विधिक स्थिति हिन्दू ऊत्तराधिकार अधिनियम

प्रतिवादी ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के तहत दावा विधि द्वारा वर्जित होना बताया हे, जो वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में सही तर्क नहीं है। इस बाबत कानून की स्थिति निम्न प्रकार है :–

(2000) 8 ,SCC 587

Labishwar Manjhi V/S Pran Manjhi

माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 2(2) हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की व्याख्या करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति पर धारा 2(2) के प्रावधान लागू नहीं होना माना क्योंकि पक्षकारान हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार शासित होते है एवं उन्हे पूर्ण हिन्दू माना गया।

AIR 2001 MP 159

Lalsai V/S Bodhan Ram & Ors.

माननीय उच्च न्यायालय ने धारा 2(2) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की व्याख्या करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समय समय पर अनुसूचित

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जनजाति पर धारा 2(2) के प्रावधान लागू नहीं होना माना क्योंकि पक्षकारान हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार शासित होते है एव उन्हे पूर्ण हिन्दू माना गया।

AIR (2004) JHARKHAND 121

Laxminarayan V/S Smt. Basi Majhian & Ors.

माननीय उच्च न्यायालय ने धारा 2(2) हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की व्याख्या करते हुए वर्तमानरू परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के होते हुए भी वर्तमान में हिन्दू रीति रिवाज का पालन करने के कारण उन पर धारा 2(2) के प्रावधान लागू नहीं होना माना

Board of Revenue, Ajmer

Appeal No. 5104/2007 decided 29-01-2014

Prem Chand V/S Sunder Bai

माननीय. रेवेन्यु बोर्ड ने भी मीणा जाति के एक प्रकरण में पुत्री का हक होना माना व धारा 2(2) से पुत्री को बाधित नहीं होना माना।

AIR (2016) HP 58

Bahadur V/S Bratiya & Ors.

माननीय उच्च न्यायालय ने धारा 2(2) हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की व्याख्या करते छुए विभिन्न उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के कई न्यायिक दृष्टान्तों की व्याख्या करते हुए पारित किया एवम् अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पुत्रीयों पर धारा 2(2) के प्रावधान लागू नहीं होना माना एवं यह निर्धारित किया गया कि

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उक्त पुत्रीयां भी विरासत में सम्पति प्राप्त कर सकती है क्योंकि प्रथायें एव रूढ़ि लागु नहीं होती है।

AIR (2019) Bombay 94

Babu Lal Bapurao V/S Sau Resmabai & Ors.

माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने अपने नवीनतम न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों की व्याख्या कर उन्हे Follow करते हुए अपने विस्तृत निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुसूचित जनजाति की महिलायें भी विरासत में हिस्सा प्राप्त कर सकती है क्योंकि यदि जब तक कि उनके विरूद्ध प्रथाये अथवा रूढ़ी उन्हे इस प्रकार का हिस्सा लेने से वंचित नहीं करती हो।

आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पर बरखक्त बहस अन्य कानून नजीरें प्रस्तुत की जावेगी।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर नम्र निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र संव्यय खारिज फरमाया जावे। अन्य कोई उचित अनुतोष जो प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में वादीनी के पक्ष में हो, पारित फरमावे। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की बहस पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो दौराने बहस वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि स्वीकृति रूप से वादिनी जाति से मीणा है जो राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की अधिसूचना

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

के अनुसार अनुसूचित जनजाति में आते है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 के तहत उक्त अधिनियम अनुसूचित जनजाति पर लागू नही होता है इस कारण वादिया का दावा वार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है राजस्व न्यायालय के कई निर्णय के अनुसार मीणा जाति में पुरूष उत्तराधिकारी की स्थिति में स्त्री को अधिकार नही होता है वादिया को सारे तथ्यों की जानकारी में है उसने मिथ्या आधारो पर दावा प्रस्तुत किया है चुंकि वादिया का वादग्रस्त सम्पत्ति पर कोई कब्जा नही है इस कारण बिना कब्जे के ना तो घोषणा का दावा चलने योग्य नही है न ही वादिया को कोई वादकारण पैदा हुआ इस कारण भी वाद कारण के अभाव में दावा खारिज किये जाने योग्य है। इस बाबत आरआरटी 2016 (2) पेज 1437, आरआरडी 2002 पेज 31 आरआरडी 2006 पेज 464, आरआरडी 2006 पी 577 आरआरटी 2012(1) पी 431 की नजीरे पेश की जवाब बहस में वकील अप्रार्थी वादी ने प्रार्थी/प्रतिवादी बहस का खंडन करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादिनी ने सही रूप से सही तथ्यों पर अपने मृतक पिता की भूमि में अपने हिस्से बाबत घोषणा का दावा पेश किया है पक्षकारान हिन्दु संस्कार एवं प्रभावों के अनुसार शाषित होते है व्यापक अर्थ हिन्दु विधि का सही उल्लेख वादिनी की ओर से अपने वाद पत्र में किया है पक्षकारान का जाति

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

से मीणा होना स्वीकृत है मगर वर्तमान परिपेक्ष्य में हिन्दु उत्ताधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर न तो लागू होते है न ही उक्त प्रावधान के तहत वादीनी का वाद बाधित ही है प्रतिवादी ने राजस्व न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का जो हवाला दिया गया है वास्तव में कानूनी स्थिति बिलकुल उसके विपरीत है माननयी उच्चतम न्यायालय ने कई मामलो में इस बिन्दु को निर्धारित कर दिया है। वादीनी वर्तमान में कई वर्षो से विधवा हे केवल मात्र ससूराल में रहने के आधार पर वादीनी का दावा खारिज नही किया जा सकता है जहां तक कब्जे का प्रश्न है आज भी संयुक्त जायदाद पर वादीनी का कब्जा संयुक्त रूप से कानूनन है घोषणा का दावा पोषणीय है। आदेश 7 निमय 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय केवल दावे के अभिकथनों को ही देखा जा सकता है। वर्तमान समय के परिपेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो की रोशनी में सही तर्क नही है इस बाबत (2002) 84सीसी, 587, एआईआर 2001 एमपी 159, एआईआर 2004 जखर खान 121 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अपील नम्बर 5104/2007 नि0दि0 29.01.2014 एआईआर एचपी 58, एआईआर 2019 बोम्बे 94 की नजीरों का हवाला देते हुये प्रार्थना पत्र किये जाने योग्य है खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

पक्षकारान वकील की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पर गौर किया व प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया तो वादिनी ने अपने आपको मृतक रामप्रताप की पुत्री होना बताकर अपने सगे भाई प्रतिवादी नं 01 के खिलाफ हिस्सा 1/2 की खातेदारी चाही है वादिया ने दावे के मद संख्या 3 में अपन आप को हिन्दु विधि से शाषित होना बताते हुये हिन्दु विधि अनुसार पिता की सम्पत्ति में हिस्सा में हिस्सा चाहा गया है जो स्वीकृत रूप से वादीनी जाति से मीणा है जो राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जन जाति में आते है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 के तहत उक्त वादीया का दावा बार्ड बाई लॉ है इस बाबत माननीय उच्च न्यायालय व राजस्व न्यायालयों के कई निर्णयों के अनुसार मीणा जाति में पुरूष उत्तराधिकारी होते हुये स्त्री को अधिकार नही होता है ऐसे में रामप्रताप की मृत्यु पर प्रतिवादी नम्बर 1 को नियमानुसार विरासत प्राप्त हुई है, वादिया ससुराल में रह रही है सारे तथ्य उसकी जानकारी में है वादिया द्वार मिथ्या आधारो पर दावा प्रस्तुत किया है, वादिया का वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा नही है इस कारण बिना कब्जे के दावा चलने योग्य नही है। इस बाबत वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2012(1) रतनी बनाम ममता की नजीर जिसमे पक्षकार मीणा समुदाय के है तथा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर लागू नही होते है व आरआरडी 2006 मूलचंद बनाम मंगली देवी में रेस्पोडेंट जो अनुसूचित जन जाति की महिला के अधिकारो से संबंधित है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा (2) के प्रावधानानुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जाति पर लागू है बशर्ते केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी करे चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा आजदिनांक तक कोई अधिसूचना जारी नही की हुई है ऐसी स्थिति में मीणा जाति में प्रचलित परिपाठी रितीरिवाज तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पूर्व की कानूनी स्थिति के आधार पर प्रकरण तय किया जाना है, मीणा जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किये जाने की स्थिति में लागू हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी नही किये जाने से इसका आशय विपरीत नही निकाला जा सकता है। आरआरडी 2002 पी 31 श्री बाई बनाम श्रीमती पान बाई आरआरटी 2016(2) पेज 1437 बाबूलाल बनाम रामसिंह की नजीर पेश की गयी जो उक्त नजीरे की रोशन में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पर भली भांति चस्पा होने व अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत नजीरे चस्पा नही होने से प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किया जाना

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किये जाने से दावा वादी खरिज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.02.18 16:14:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: